न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 256/2026

अनवान : –

1. रामसिंह पुत्र हंसराम जाति धानक निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महावीर पुत्र लेखूराम जाति धानक निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 25/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कृषि भुमि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा पटवार हल्का ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 187/187 कुल खसरे 8 की कुल तादादी 19.8290 है०, भुमि में से 8262/99145 हिस्सा महावीर पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में से 3 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा खरीद की थी।

रोही मौजा ललाना बास दिखनादा पटवार हल्का ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 187/187 कुल खसरे 8 की कुल तादादी 19.8290 है०, भुमि में से 8262/99145 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र लेखुराम से 0.7590 है०, भुमि 450000 रूपये अखरे चार लाख पचास हजार रूपया में मुझ वादी रामसिह पुत्र हंसराज खरीद ने की थी और विकीत भूमि का कब्जा मुझ वादी को दे दिया है। बैयनामा की नकल उप पंजीयन नोहर से लेकर पटवार हल्का पटवारी से नामांतरण दर्ज करने के लिए मिला तब पटवारी जी ने बताया की आपका बैयनामा रोही मौजा ललाना बास दिखनादा की 254/260 की भुमि में से किया हुआ है जिसके बाद में दस्तावेज लेखक से मिला तब पता चला कि सहवन से चौयनामा में दुसरे खाते की जमाबन्दी के खाता सख्यां लिख दिया गया है दस्तावेज लेखक को लेकर तहसीलदार महोदय से मिला तो वैयनामा दुरूस्त करने से मना कर दिया। इसलिए उक्त दावा पेश कर निवेदन है कि बैयनागा में सहवन से अकित खाता संख्या 254/260 में 3829/56150 के स्थान पर खाता संख्या 187/187 की 8262/99145 दर्ज की जाकर इस खाते 3 बीघा भूमि का नामान्तरण दर्ज किया जावे। यह विनाय दावा है।

रोही मौजा ललाना बास दिखनादा पटवार हल्का ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंन्दी के खाता संख्या 187/187 की भुमि में 3 बीघा भूमि खरीद की थी और उसकी का कब्जा मुझ वादी के पास है। देस्तावेज लेखक से खाता संख्या गलत दर्ज होने की बजह से वैयनामा का नामांतरण दर्ज नही हो रहा है इसलिए मुझ वादी के खातेदारी हको का हनन होता है केसीसी व सरकारी लाभ नही मिल रहा तथा प्रतिवादी के मन में लालच आ गया है खरीद की भुमि का बैयनामा में खाता संख्या गलत दर्ज होने के कारण बैयनामा से मुकरना चाहता इसलिए कृषि भुमि को लेकर कोई विवाद ना हो सहवन से हुई गलती को दुरूस्त कर खाता संख्या 187/187 की 8262/99145 हिस्सा में से 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज किया जावे। उपरोक्त बैयनामा में दो गवाह उमेद पुत्र श्री मोहर सिंह जाति धानक निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान व राजा राम पुत्र श्री भादर जाति धानक निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ने भी खाता संख्या 187/187 की 3 बीघा भुमी की पहचाने व मेरे नाम करवाने की गवाही बावत अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे। अत वाद वादी घोषणा की जावे कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा के खाता संख्या 254/260 में 3829/56150 हिस्सा के स्थान पर खाता संख्या 187/187 की 8262/99145 हिस्सा में से वादी के नाम 3 बीघा भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में खाता 187/187 की 3 बीघा भूमि का बैयनामा करवाया था लेकिन बैयनामा में सहवन से 254/260 लिख दिया गया उक्त बैयनामा जन्म जात शुन्य है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल इस आशय का पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कृषि भुमि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा पटवार हल्का ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 187/187 कुल खसरे 8 की कुल तादादी 19.8290 है०, भुमि में से 8262/99145 हिस्सा महावीर पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में से 3 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा खरीद की थी।

रोही मौजा ललाना बास दिखनादा पटवार हल्का ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 187/187 कुल खसरे 8 की कुल तादादी 19.8290 है०, भुमि में से 8262/99145 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र लेखुराम से 0.7590 है०, भुमि 450000 रूपये अखरे चार लाख पचास हजार रूपया में मुझ वादी रामसिह पुत्र हंसराज खरीद ने की थी और विकीत भूमि का कब्जा मुझ वादी को दे दिया है। बैयनामा की नकल उप पंजीयन नोहर से लेकर पटवार हल्का पटवारी से नामांतरण दर्ज करने के लिए मिला तब पटवारी जी ने बताया की आपका बैयनामा रोही मौजा ललाना बास दिखनादा की 254/260 की भुमि में से किया हुआ है जिसके बाद में दस्तावेज लेखक से मिला तब पता चला कि सहवन से चौयनामा में दुसरे खाते की जमाबन्दी के खाता सख्यां लिख दिया गया है दस्तावेज लेखक को लेकर तहसीलदार महोदय से मिला तो वैयनामा दुरूस्त करने से मना कर दिया। इसलिए उक्त दावा पेश कर निवेदन है कि बैयनागा में सहवन से अकित खाता संख्या 254/260 में 3829/56150 के स्थान पर खाता संख्या 187/187 की 8262/99145 दर्ज की जाकर इस खाते 3 बीघा भूमि का नामान्तरण दर्ज किया जावे। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा पटवार हल्का ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 187/187 कुल खसरे 8 की कुल तादादी 19.8290 है०, भुमि में से 8262/99145 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 महावीर पुत्र लेखुराम से 0.7590 है०, भुमि 450000 रूपये अखरे चार लाख पचास हजार रूपया में मुझ वादी रामसिह पुत्र हंसराज खरीद ने की थी और विकीत भूमि का कब्जा मुझ वादी को दे दिया है। बैयनामा की नकल उप पंजीयन नोहर से लेकर पटवार हल्का पटवारी से नामांतरण दर्ज करने के लिए मिला तब पटवारी जी ने बताया की आपका बैयनामा रोही मौजा ललाना बास दिखनादा की 254/260 की भुमि में से किया हुआ है जिसके बाद में दस्तावेज लेखक से मिला तब पता चला कि सहवन से चौयनामा में दुसरे खाते की जमाबन्दी के खाता सख्यां लिख दिया गया है दस्तावेज लेखक को लेकर तहसीलदार महोदय से मिला तो वैयनामा दुरूस्त करने से मना कर दिया। इसलिए उक्त दावा पेश कर निवेदन है कि बैयनागा में सहवन से अकित खाता संख्या 254/260 में 3829/56150 के स्थान पर खाता संख्या 187/187 की 8262/99145 दर्ज की जाकर इस खाते 3 बीघा भूमि का नामान्तरण दर्ज किया जावे। वादी द्वारा नामान्तरण गलत दर्ज होने का कथन किया गया है कि नामान्तरण राजस्व कार्मिकों द्वारा गलत दर्ज किया गया है वादीगण नामान्तरण को सही दर्ज करवाने का अनुतोष इस न्यायालय से पाने का अधिकारी नही है। लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अवलोकन के मुताबिक वादी द्वारा ग्राम ललानाबास दिखनादा के खाता स0 254/260 के ख0न0 482, 483, 484, 485 487 की भूमि में से प्रतिवादी स0 1 द्वारा 3 बिघा भूमि का बेचान किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनाम आदिनांक तक वैध है एवं वादी द्वारा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता स0 254/260 के स्थान पर खाता स0 187/187 दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जो की वादी अधिकारी नही है क्योंकि वादी बैयनामा के मुताबिक ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अगर बैयनामा में किसी प्रकार की त्रूटि/रकबे में भिन्नता है तो वादी सक्षम न्यायायल में बैयनामा संशोधन की कार्यवाही करे। वादी बिना किसी आधार के बैयनामा के अतिरिक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया बैयनामा विधिसम्मत प्रतीत होता है क्योकि बैयनामे स्पष्ट से अंकित है कि बिना किसी नशा पता के स्वस्थ मन व बुद्धि से पढ़कर सही होना वादी व प्रतिवादी द्वारा तहरीर किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 256 / 2026

अनवान : –

1. रामसिंह पुत्र हंसराम जाति धानक निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र लेखूराम जाति धानक निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 256 सन 2026 निर्णय दिनांक 25/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर